

11/07/2018
11/09/2018

कान चालु
कार्यालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।

सुदामा सिंह
वनाम
सुबोध महतो

वाद संख्या M-86/2018-19
धारा -144 द0 प्र0 सं0

आदेश की क्रम संख्या एवं तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
11.07.18	<p>सुदामा सिंह पिता स्व0 बड़ाईक शिव शंकर सिंह ग्राम खूँटी, पोस्ट खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी C/O राधागोविन्द सिंह तोरपा रोड नियर सिंह होटल खूँटी ने आवेदन दिया है, द्वितीय पक्ष सुबोध महतो, पिता स्व0 मनरखन महतो, ग्राम खूँटी टोली खूँटी, पोस्ट खूँटी, थाना खूँटी, जिला खूँटी द्वारा मौजा खूँटी टोली थाना न0 83, खाता न0 1 प्लॉट न0 1073, 1552, 1551, रकबा 1.82 एकड़ चौहदी उत्तर में धनुषधारी सिंह दक्षिण में स्व0 मेघनाथ राम, पूरब में मनबोध महतो, पश्चिम में धनुषधारी शिवालया जमीन में तनाव है और कभी भी शांति भंग होने की आशंका है।</p> <p>अतः मैं प्रणव कुमार पॉल अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी उक्त आवेदन से संतुष्ट होकर द0प्र0सं0 की धारा 144 के तहत कार्यवाही प्रारंभ करते हुए उभय पक्ष करे तकरारी जमीन पर जाने से 60(साठ) दिनों तक रोक लगाता हूँ।</p> <p>उभय पक्ष को कारण पृच्छा नोटिस निर्गत करें।</p> <p>दिनांक.....18.07.18..... को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;">ANURAG अनुमण्डल दण्डाधिकारी, खूँटी।</p>	71 11/07/18

उत्पन्न पत्र उपस्थित। मंत्रिका प्रसिद्ध
हेतु धारा 2 अर्थात् (2) की नीति का अर्थ है दिनांक
4.9.18 को रखा।

28/8/18

4/9/18

उत्पन्न पत्र उपस्थित। दिनांक 6/9/18
को रखा।

06/09/18

उत्पन्न पत्र उपस्थित। दिनांक
11/9/18 को रखा।

11/9/18

उत्पन्न पत्र उपस्थित। द्वितीय पत्र
द्वारा अर्थात् कार्यालय निम्न काल वादित
होने के कारण अग्रे कार्यवाही वंशिका
आरंभ।

11/9/18